FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम किशनगढ़ (अजमेर)

1. नन्दराम पुत्र किशना जाति जाट निवासी कालानाडा, तहसील अंराई जिला अजमेर राज0

वादी

बनाम

1. गोपी पुत्र देवा, जाति जाट, निवासी कालानाडा, तहसील अंराई जिला अजमेर राज0
2. माधू पुत्र देवा, जाति जाट, निवासी कालानाडा, तहसील अंराई जिला अजमेर राज0
3. भंवरी पुत्री देवा, जाति जाट, निवासी कालानाडा, तहसील अंराई जिला अजमेर राज0
4. जगदीश पुत्र गोपीराम, जाति जाट, निवासी कालानाडा, तहसील अंराई जिला अजमेर राज0
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अंराई जिला अजमेर राज0

प्रतिवादीगण

किस्म मुकदमा – 53, 188 रा0का0अधि0 नंबर 18 / 2016

2016/000030

वकील वादी श्री इन्द्रेश कुमार वकील प्रतिवादीगण श्री [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
03.02.2016	यह वाद पत्र वादी की ओर से वकील श्री इन्द्रेश कुमार ने अन्तर्गत धारा 53, 188 रा0का0 अधिनियम के तहत् पेश किया। वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया, वकील वादी को सुना गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 19.2.16 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर) दि. 19-2-16 पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] रुप. । तलबी/जवाब/ दस्तावेजात/[illegible] पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 16.3.16 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ दि. 16.3.16 पत्रावली पेश हुई। दस्तावेजात/[illegible] वास्ते तलबी 23.5.16 को पेश हो। [illegible] हनुमान प्रसाद द्वारा [illegible] उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़	

16.3.16
23/5
22/8/16
28.9.16
19-11-16
10.1.17
20.3.17
27/6/17
29.8.17
12.10.17
11.12.17
21.2.18
23/4/18
10/7/18
12/9/18
19.11.18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	तारीख अहकाम हुक्म में जारी
17/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील परमानन्द भट्ट/ न्यायालय अभियुक्त में सुनि — या आवाजे लगवाई गई किन्तु वकील परमानन्द भट्ट/ पत्रावली बाद अवकाशपत्री/अवकाश बेंच से खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमारबोर नम्बर से रवाना।	